



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में गैर-इरादतन हत्या करने के आरोपी आबिद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 13 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2012 में अभियुक्त आबिद पुत्र अवलू हसन निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा वादी के पुत्र जुबेदीन की गैर-इरादतन हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 378/2012 धारा 304 भादवि व मु0अ0सं0 379/2012 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये थे। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 10.02.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-02 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त आबिद को दोषी पाते हुए 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



श्री अमित खोखर एडीजीसी जनपद बागपत



मुख्य आरोपी रवि कुमार कोर्ट पैरोकार थाना रमाला

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में चोरी की घटना कारित करने के आरोपी शादाब को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष 10 माह का कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त शादाब पुत्र काना उर्फ शानू निवासी कस्बा बघरा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा अलग-अलग चोरी की 02 घटनाएं कारित की गयी थीं जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 109/2023 धारा 380 भादवि व मु0अ0सं0 131/2023 धारा 380 भादवि पंजीकृत किये गये थे। इन अभियोगों को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 10.02.2026 को मा0 न्यायालय सीजे(जेडी) कोर्ट-02 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त शादाब को दोषी पाते हुए 01 वर्ष 10 माह के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 10.02.2026

बागपत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-आकाश पुत्र शिव कुमार निवासी ग्राम ढिकौली थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

2-रामनिवास पुत्र शगवा निवासी पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-सोनू पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- थाना चाँदीनगर पुलिस टीम । (01 वारंटी)

2- थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम । (01 वारंटी)

3- थाना दोघट पुलिस टीम । (01 वारंटी)



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक- 10.02.2026

थाना दोघट पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व कुल 1100 रुपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व कुल 1100 रुपये नगद बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. जिशान पुत्र एहसान निवासी ग्राम जौला थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर उम्र 25 वर्ष ।
2. इंतजार पुत्र मुल्ला निवासी जौला थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर उम्र 36 वर्ष ।
3. राकिब पुत्र आबिद निवासी ग्राम दवेड़ी थाना बुढ़ाना जनपद मुजफ्फरनगर उम्र 30 वर्ष
4. अरसद पुत्र शमशाद निवासी सुन्दरनगर खुर्द करबा व थाना कैराना जनपद शामली उम्र 26 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 52 ताश के पत्ते ।
- 1100 रूपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 विकुल कुमार थाना दोघट बागपत
- 2-है0का0 706 दयाचन्द थाना दोघट बागपत
- 3-एचजी 461 निखिल कुमार थाना दोघट बागपत

